

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4496

दिनांक 28/10/2022

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	रजि. विक्रय पत्र के आधार पर मूल आवंटि का नाम	भू. सं.	भू.क्षे.	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री रामकुमार बैरवा	श्री बालमुकुन्द एवं श्री आनन्द शर्मा	32 बी	100	महादेव नगर विकास समिति	महादेव नगर	लीजडीड	अपंजीकृत मु0आम0 एवं सदस्यता सूची में आवेदक का नाम भू.सं. 32बी के स्थान पर 32ए पर होने से।
2	श्रीमती ज्योति सैनी पत्नी श्री प्रकाश चंद सैनी	श्री सत्यनारायण सैनी पुत्र श्री सूरज नारायण सैनी	23 N.P	111.11	महादेव नगर विकास समिति	महादेव कॉलोनी	लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
3	श्री मूलचंद, नरसीराम, रामकरण	श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. श्री रामकरण गीणा	33	166.66	महादेव नगर विकास समिति	महादेव कॉलोनी	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजि0 हकत्याग होने से।
4	श्रीमती अनिता पत्नी श्री अनिल	श्री प्रभूनारायण पुत्र श्री महादेव	8	69.62	महादेव नगर विकास समिति	महादेव कॉलोनी	लीजडीड	सदस्यता सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं होने से।
5	श्रीमती विमला देवी पत्नी बृजमोहन कुमावत	श्री मानसिंह कुमावत पुत्र स्व. श्रीनारायण कुमावत	53	138.43	महादेव नगर विकास समिति	महादेव कॉलोनी	लीजडीड	अपंजीकृत मु0आम0 होने से।

PRO
31/10/2022

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-7211

आम सूचना

दिनांक 31-10-22

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी/खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अनिल पुरोहित पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश पुरोहित	श्री ओमप्रकाश पुरोहित पुत्र स्व. श्री पी.जे. पुरोहित	3/298/4	180 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण/ फी होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईमेल-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

उपस्थित जॉन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

22/11/22
X/088

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-

1597

दिनांक-

31/10/22

:-सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	शशिकान्त पूनिया/ओमप्रकाश पूनिया (मीनावाला गृ.नि.स.स. लि0 की योजना-पवनपुत्र-डी) अपंजीकृत मु.आम	55	226
2	लक्ष्मीनारायण गुप्ता/काली चरण (लंकापुरी गृ.नि.स.स.लि. की योजना-फ्रेंड्स कॉलोनी)	30	200
3	विष्णु देवी/हनुमान (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी) अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-171	400
4	जसपाल सिंह/अजीत सिंह (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि0 की योजना-अरिहन्त वाटिका)	5	388.88
5	मीरा देवी/शंकर लाल एवं सीमा देवी/रोशन लाल (मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना-श्री राम विहार सी)	सी-12, सी-13 एवं सी-15	297.50, 150
6	निरमा देवी/ओमप्रकाश, एवं केसरी देवी/कालुराम (मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना-श्री राम विहार सी)	सी-11, सी-13 एवं सी-15	297, 297
7	अनिता/दुल्हीचन्द (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि0 की योजना-विकास नगर-बी)	97	286

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।

PRD/31/10/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2022/डी- 3354

दिनांक 31/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	रणवीर सिंह यादव पुत्र श्री रघुवीर सिंह यादव	श्रीमती सुधा राठी पत्नी श्री विजय राठी	66	881.83 वर्ग मी.	श्री महावीर स्वामी गृ.नि. स.स.	गणेश विहार	पट्टा	प्रार्थी द्वारा सर्वेक्षण पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, आवंटन पत्र, इकरारनामा, विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी- 2516

दिनांक. 1-11-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक: से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी-14	सिन्धु नगर	छत्रसाल नगर-सी	श्री सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री निहाल सिंह यादव	श्री सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री निहाल सिंह यादव विकास समिति से प्राप्त दिनांक 13.12.2013 में श्री जितेन्द्र सिंह यादव का नाम अंकित है।	आवंटन पत्र दिनांक 02. 11.1980 श्री सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री निहाल सिंह यादव साईट प्लान समिति से प्राप्त जमा चालान की प्रति आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2517

दिनांक. 1-11-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी-10	न्यू पिंक सिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री बन्शीधर जाट पुत्र स्वर्गीय श्री हनुमान सहाय जाट	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री हनुमान सहाय	आवंटन पत्र दिनांक 17.04.1994 साईट प्लान अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 15.10.2018 आदि।
1	11-ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरीनारायण बैरवा श्री पुत्र राम सहाय बैरवा	श्री हरीराम बैरवा पुत्र श्री रामसहाय बैरवा	आवंटन दिनांक 12.04.1986 साईट प्लान आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

11/11/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री कमलेश जांगिड पुत्र स्व.श्री सुबालाल	श्री रमेश डंगाचव पुत्र श्री हनुमान बक्ष	88	375.00 व.ग.	सिन्धु नगर को.हा. सो.	16व 16 ^{वा}	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	वाद विवाद का प्रकरण होने के सम्बन्ध मे।
2	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री उगम सिंह राठौड	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री उगम सिंह राठौड	ए-132	177.00 व.ग.	गुलाबबाडी गुनिसस	जय नगर	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	भूखण्ड सृजन का प्रकरण होने के सम्बन्ध मे।
3	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री हनुमानाराम	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल	सी-67 डी	140.00 व.ग.	मोती भवन गु.नि.स. स	4सी माचडा	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	उपविभाजित भूखण्ड का प्रकरण होने के सम्बन्ध मे।

PRO
31/10/22

उपायुक्त जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर व्यापक प्रचार प्रसार वाले समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

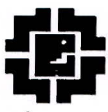
यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/22/डी-3552

दिनांक: 31-10-22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष(+91-141-2570256): ईमेल: (rajasthan.gov.in)

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा.07/2022/डी-2294

आम सूचना

दिनांक:-

31/10/22

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में निजी खातेदारी की योजना शिवजी राम कॉलोनी के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डधारी का नाम
1.	1 व 2	खातेदार
2.	3	श्रीमती कमला मारवाल पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह मारवाल
3.	4	श्री शम्भु दयाल मामोडिया पुत्र श्री श्योजी राम मामोडिया
4.	5	श्री हरि राम भाटी
5.	6	श्रीमती दीपा शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा एवं श्रीमती मीनल शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा
6.	7	श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा
7.	8-ए	श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री हनुमान प्रसाद मामोडिया
8.	8-बी	श्रीमती मंजू लता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा
9.	9	श्रीमती सुशीला कुमावत पत्नी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मामोडिया
10.	10	श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी श्री केसर लाल
11.	10-ए	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा
12.	11 दक्षिणी भाग	श्रीमती संतोष चाण्डक पत्नी श्री रमेश चाण्डक
13.	11 उत्तरी भाग	श्री चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री भेंवर लाल शर्मा
14.	11-ए	श्री मोहन लाल जायसवाल पुत्र श्री सुवा लाल
15.	12-ए	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री घनश्याम शर्मा
16.	13	श्री रमेश कुमार चौहान पुत्र श्री बंशीधर जी
17.	14	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री रमेश कुमार चौहान
18.	15	श्रीमती रंजना मामोडिया पत्नी श्री रोशन लाल मामोडिया
19.	16	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मामोडिया
20.	17	श्री हनुमान प्रसाद मामोडिया पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मामोडिया

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफ कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2291

दिनांक:- 28/01/2022

आमसूचना

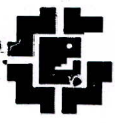
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में सिरौही गृ.नि.स.स. की योजना शिवम विहार के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र सं	सदस्य का नाम	भूखण्ड संख्या
1	सूचना का अभाव	01
2	सूचना का अभाव	01-ए
3	भीवाराम नेहरा पुत्र लालाराम नेहरा	2
4	रामगोपाल सोनी पुत्र वासुदेव सोनी	3
5	सरोज देवी शर्मा पुत्री सत्यनारायण शर्मा	4
6	कल्पना देवी पत्नि कुन्दन चन्द	5
7	श्रवण लाल यादव पुत्र सुजाराम यादव	6
8	ललिता सोनी पत्नि हेमन्त सोनी	7
9	राधिका शर्मा पत्नि मोतीराम शर्मा	8
10	दयावन्ती सोनी पत्नि सुनील सोनी	9
11	सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र चौथमल शर्मा	10
12	उर्मिला सोनी पत्नि नन्द किशोर सोनी	11
13	विरेंद्र सिंह पुत्र गिरिवर सिंह	12
14	सूचना का अभाव	13
15	सूचना का अभाव	14
16	आशा देवी शर्मा पत्नि हरिश कुमार शर्मा	15
17	आशा देवी शर्मा पत्नि हरिश कुमार शर्मा	16
18	सविता सोनी पत्नि सुनील सोनी एवम् उमा सोनी पत्नि सुशील सोनी	17
19	कमला देवी पत्नि देवाराम चौधरी	17ए
20	सूचना का अभाव	17बी
21	सूचना का अभाव	17सी
22	सूचना का अभाव	18
23	सूचना का अभाव	19
24	सूचना का अभाव	20
25	सूचना का अभाव	20-ए
26	गीता देवी पत्नि बद्रीनारायण	20-बी
27	कन्हैयालाल सोनी पुत्र जुगलकिशोर सोनी	20-सी
28	सुशीला कुमावत पत्नि प्रहलाद कुमावत	21
29	सोना देवी सैन पत्नि गिरधरी लाल सैन	21-ए
30	सूचना का अभाव	22
31	राजेश कुमार कुमावत पुत्र बंशीधर कुमावत	23
32	सूचना का अभाव	24
33	सूचना का अभाव	25
34	सूचना का अभाव	26
35	सूचना का अभाव	27
36	सूचना का अभाव	28
37	सूचना का अभाव	29

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455

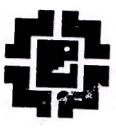
जोन 7 जविप्रा जन 2021



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

38	सूचना का अभाव	30
39	सूचना का अभाव	31
40	सूचना का अभाव	32
41	मीरा देवी पत्नि विक्रम सिंह	33
42	सुमन पुत्र प्यारेलाल जांगिड	34
43	नीलम सोनी पत्नि कैलाश सोनी	35
44	सूचना का अभाव	36
45	सावत राम पुत्र रामनाथ चौधरी	37
46	कानी देवी पत्नि भागुराम	38
47	त्रिवेणी देवी पत्नि गौरी शंकर जांगिड	39
48	रीना देवी पत्नि मालसिंह तंवर	40
49	रीना देवी पत्नि मालसिंह तंवर	40ए
50	सूचना का अभाव	41
51	सूचना का अभाव	42
52	सूचना का अभाव	43
53	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री बनवारी लाल	44
54	अमित कुमार पुत्र हरिसिंह	45
55	सीतादेवी पत्नि बृजमोहन तिवाडी	46
56	गौरीशंकर कुमावत पुत्र लच्छुराम कुमावत	47
57	श्रीमती गीता देवी पत्नि गौरी शंकर कुमावत	48
58	सूचना का अभाव	49
59	सूचना का अभाव	50
60	सूचना का अभाव	51
61	सूचना का अभाव	52
62	सूचना का अभाव	52ए
63	सूचना का अभाव	52बी
64	सूचना का अभाव	53
65	सूचना का अभाव	53-ए
66	सूचना का अभाव	54
67	सूचना का अभाव	55
68	सूचना का अभाव	56
69	राम प्रसाद कुमावत पुत्र रामनारायण कुमावत	57
70	चित्रा कुमावत पत्नि रामप्रसाद कुमावत	58
71	सतीश कुलहरी पुत्र धर्मचन्द कुलहरी	59
72	श्रीराम खींचड पुत्र नारायण राम खींचड	60
73	जयराम सोनी पुत्र हेमराज सोनी	61
74	कैलाश कुमार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	62
75	कृष्ण कुमार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	63
76	अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल	64
77	कृष्णा देवी पत्नि कैलाश नारायण शर्मा	65
78	महेश कुमार पुत्र घासीराम लाम्बा	66
79	ओमप्रकाश पिलानिया पुत्र केसर राम	67
80	रजनी महेशवरी पत्नि मिथल माहेश्वरी	68
81	बाबूलाल गुर्जर पुत्र छाजूराम गुर्जर	69
82	मुकेश कुमार झाझडिया पुत्र जगदीश प्रसाद	70
83	सुमन कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह	71
84	सविता गर्ग पत्नि प्रदीप गर्ग	72
85	हुक्माराम पुत्र कल्याणमल चौधरी	73



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

86	मन्जू देवी पत्नि परसाराम	74
87	विकास पुत्र मोहनलाल जाट	75
88	मोहनलाल जाट पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट	76
89	भवानी सिंह पुत्र उगम सिंह	77
90	मनप्रिया पत्नि कमल शर्मा	78
91	सूचना का अभाव	79
92	शान्ति देवी पत्नि श्रवण लाल जाट	80
93	विजय लक्ष्मी पत्नि राजेन्द्र कौशिक	81
94	सूचना का अभाव	81-ए
95	सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र पी.एल. शर्मा	82
96	सूचना का अभाव	83
97	सरोज शर्मा पत्नि केदार नाथ शर्मा	84
98	राजू देवी जांगिड पत्नि बिहारी लाल जांगिड	85
99	शशि देवी सुरोलिया पत्नि रविकान्त सुरोलिया	86
100	रेखा चौधरी पत्नि रामधन चौधरी	87
101	दीप्ति शर्मा पत्नि हेमराज चौधरी	88
102	भंवर लाल पुत्र गंगुराम	89
103	सुमन शर्मा पत्नि धीरज शर्मा	90
104	सरिता शर्मा पत्नि राजेन्द्र कुमार शर्मा	91
105	सूचना का अभाव	92
106	श्रवण लाल जाट पुत्र कल्याण राम जाट	93
107	ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र फूलाराम गुर्जर	94

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्तजोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 3582

दिनांक 31/10/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

220
31/10/22

24
उपायुक्त, जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3582

दिनांक.....31/10/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण गणपति गृ0नि0स0समिति की योजना बालाजी विहार-21 के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नांगल जैसा बोहरा, जयपुर	815	0.1138 हैक्टेयर	आनन्दी लाल पुत्र श्री मीठालाल हि. 1/2 मोहनलाल पुत्र मीठालाल हि. 1/2 जाति ब्रह्मण सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपोपयुक्त
जयपुर-08 जविप्रा, जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102167

6060

DATED- 28/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासी लाल निवासी ए 9, जे.पी.कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वहन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासी लाल, जाती-मीना, निवासी ए 9, जे.पी.कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर	3462 / 2212	0.0893 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.0893 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वहन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/10/22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जैन-9
प्राधिकृत अधिकारी जयपुर-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जैन-9
उपायुक्त जैन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

cran/1/10ne 09/vaw 90A(Public.docx)

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004]

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : abusufiyan.ras@gmail.com}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102168

16061

DATED- 28/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासी लाल निवासी ए 9, जे.पी.कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासी लाल, जाती-मीना, निवासी ए 9, जे.पी.कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर	3460/2212	0.5203 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.5203 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/10/22 को जारी की गयी।

प्रतिनिधि जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिनिधि-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर